6 - अर्हता-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
1	राज्य कर आयुक्त कार्यालय	वाणिज्य कर संग्रह अमीन	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश व्यापार-कर संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1995 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 1997, द्वितीय संशोधन- 2007 एवं तृतीय संशोधन-2015) के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **वाणिज्य कर संग्रह अमीन** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने **माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो।** **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश व्यापार-कर संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1995 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 1997, द्वितीय संशोधन- 2007 एवं तृतीय संशोधन-2015) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
2	भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,	भूमि अर्जन अमीन	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन सेवा नियमावली, 1993 भाग-4 के नियम 8 के अनुसार **भूमि अर्जन अमीन** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए- **माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिन्होंने लेखपाल के पद के लिए विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।** **अधिमानी अर्हता** उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन सेवा नियमावली, 1993 भाग-4 के नियम 8 के के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	भण्डार पाल एवं लिपिक (सामान्य चयन एवं विशेष चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1994 के भाग-4 नियम 8 के अनुसार **भण्डार पाल एवं लिपिक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए- **माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो।** **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1994 के भाग-4 नियम 9 के के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
4	कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ	सहकारी कृषि पर्यवेक्षक	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग तृतीय वर्ग- अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1977 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार सेवा में **सहकारी कृषि पर्यवेक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। **माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा।** **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग तृतीय वर्ग- अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1977 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर उस अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी- **(क) जिसने नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, प्राविनियल कोआपरेटिव यूनियन या सहकारिता विभाग द्वारा चलाये जा रहे किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से सहकारिता में प्रशिक्षण लिया हो, या** **(ख)जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सेवा की हो, या** **(ग)जिसने नेशनल कैडेट कोर का 'ख' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
5	निदेशालय जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश	गृहमाता	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश जनजातीय विकास शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवर्ग सेवा नियमावली, 1991 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **गृहमाता** के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं हो: **इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश जनजातीय विकास शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवर्ग सेवा नियमावली, 1991 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार पर ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा**
6	कार्यालय चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सारणीयक	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश चकबन्दी विभाग लिपिक और रेखांकन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित एवं अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 यथासंशोधित के अनुसार सेवा में सारणीयक के पद पर सीधी भर्ती के लिये **अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिये।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश चकबन्दी विभाग लिपिक और रेखांकन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित एवं अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 यथासंशोधित के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने- **(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या** **(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।**
7	समाज कल्याण विभाग निदेशालय	समाज कल्याण पर्यवेक्षक	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली, 1997 यथासंशोधित के अनुसार सेवा में **समाज कल्याण पर्यवेक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है- **(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो।** **(2) एन0आई0ई0एल0आई0टी0 द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाण-पत्र।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली, 1997 यथासंशोधित के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
8	समाज कल्याण विभाग निदेशालय	ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 1997 यथासंशोधित के अनुसार सेवा में **ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है- **(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो।** **(2) एन0आई0ई0एल0आई0टी0 द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाण-पत्र।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 1997 यथासंशोधित के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
9	पंचायती राज निदेशालय	ग्राम पंचायत अधिकारी	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u> **उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8** के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं अवश्य धारित करनी चाहिए- **(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।** **(दो) एन0आई0ई0एल0आई0टी0 (पहले डोयेक संस्था) द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर में सी0सी0सी0 प्रमाण – पत्र।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> **उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-9** के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को- 1- जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2- जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, 3- जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
10	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	फार्म लिपिक	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश जेल विभाग प्राविधिक और शिक्षा सेवा नियमावली, 1983 के भाग-4 नियम-08 के अनुसार सेवा में **फार्म लिपिक** के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की निम्मलिखित अर्हतायें हो:- **(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडियट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।** **(दो) कृषि संक्रिया का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।** **(तीन) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश जेल विभाग प्राविधिक और शिक्षा सेवा नियमावली, 1983 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
11	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	बिक्री कर्ता	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सहःसम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007 के भाग-4 नियम-08 के अनुसार सेवा में **बिक्री कर्ता** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्मलिखित अर्हता होनी आवश्यक है:- **(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।** **(2) किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग में विक्रय कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।** **(3) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान।** <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सहःसम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

<u>7- आयु –</u>

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	राज्य कर आयुक्त कार्यालय	वाणिज्य कर संग्रह अमीन	उत्तर प्रदेश व्यापार-कर संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1995 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 1997, द्वितीय संशोधन- 2007 एवं तृतीय संशोधन-2015) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **वाणिज्य कर संग्रह अमीन** की सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
			ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायं, **पहली जुलाई को 18 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली, हो और **40 वर्ष** से अधिक की आयु न प्राप्त की हो। परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
2	भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,	भूमि अर्जन अमीन	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को **18 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	भण्डार पाल एवं लिपिक (सामान्य चयन एवं विशेष चयन)	सेवा में **भण्डार पाल एवं लिपिक** की सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की **पहली जुलाई को अट्ठारह वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **चालीस वर्ष** से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
4	कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ	सहकारी कृषि पर्यवेक्षक	सेवा में **सहकारी कृषि पर्यवेक्षक** के पद पर जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पदों का विज्ञापन 01 जनवरी से 30 जून की अवधि में किया जाय और पहली जुलाई को, यदि पदों का विज्ञापन 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में किया जाय, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु **18 वर्ष** होनी चाहिए किन्तु **40 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु- (1)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये। (2)उन अभ्यर्थियों की स्थिति में, जो सरकारी सेवा में या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन की सेवा में पहले से हों, पाँच वर्ष अधिक होगी।
5	निदेशालय जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश	गृहमाता	सेवा में गृहमाता के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, **18 वर्ष** की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिये और **40 वर्ष** की आयु से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
6	कार्यालय चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सारणीयक	सेवा में **सारणीयक** के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को **18 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** की आयु प्राप्त न की हो। प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी किन्हीं अन्य श्रेणियों के, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में आयु की अधिकतम सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
7	समाज कल्याण विभाग निदेशालय	समाज कल्याण पर्यवेक्षक	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग **समाज कल्याण पर्यवेक्षक** सेवा नियमावली, 1997 यथासंशोधित के अनुसार समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायं पहली जुलाई को **18 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की होः

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
			परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
8	समाज कल्याण विभाग निदेशालय	ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण)	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 1997 यथासंशोधित के अनुसार **ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण)** के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायं पहली जुलाई को **18 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
9	पंचायती राज निदेशालय	ग्राम पंचायत अधिकारी	**उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-10** के अनुसार सेवा में **ग्राम पंचायत अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, की पहली जुलाई को **18 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
10	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	फार्म लिपिक	उत्तर प्रदेश जेल विभाग प्राविधिक और शिक्षा सेवा नियमावली, 1983 के भाग-4 नियम- 10 के अनुसार सेवा में **फार्म लिपिक** के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये **21 वर्ष** की हो जानी चाहिए और **30 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय:
11	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	बिक्री कर्ता	सेवा में **बिक्री कर्ता** के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, **पहली जुलाई** को **18 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8-चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है